29
2020

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 029 / 2020

प्रार्थीगण :-

1. जोगाराम पुत्र हरजीराम
2. आदूराम पुत्र हरजीराम
3. मेराराम पुत्र हरजीराम
4. उत्तमाराम पुत्र हरजीराम
5. जमना पत्नि हरजीराम

कौम राईका सभी निवासीयान मेवानगर तहसील पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा
2. छेल कंवर पत्नि देवीसिंह जाति राजपूत निवासी मेवानगर तहसील पचपदरा
3. सुखीदेवी पत्नि मुकनाराम जाति राईका
4. हराराम पुत्र पुनमाराम
5. ईस्माईल खां पुत्र आरबखां जाति मोयला मुसलमान
6. गौरी बैन पत्नि पुरुषोतम जाति मोयला मुसलमान
7. हरचन्दराम पुत्र जूंजाराम जाति रबारी
8. फूसाराम पुत्र जूंजाराम जाति रबारी
9. बालकराम पुत्र जूंजाराम जाति रबारी
10. झमु पत्नि जूंजाराम जाति रबारी

सभी निवासीयान जसोल मंडावास
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते रेकर्ड दुरुस्ती करने बाबत

उपस्थिति:-

1. **श्री पूनमाराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा**

'निर्णय'

दिनांक - 18.06.2021

प्रार्थीगण की ओर से श्री पूनमाराम वकील के द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-... पेश कर संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि मौजा मंडावास के खसरा ... रकबा 481-16 बीघा बिला कब्जा का आया हुआ ... अलग-अलग वर्यक्तियों को अलग-अलग रकबे की भूमि ... इसी खसरा नम्बर में सड़क निकल जाने से रकबा 12-10 बीघा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अमलदरामद किया गया। जिसका ब्योरा सलग्न परिशिष्ट अ ... खसरा नम्बर 11 के बट्टा नम्बर की सूची दर्ज अनुसार है, उक्त मूल खसरा संख्या 11 में वक्त आवंटन रकबा 39-03 बीघा भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 18:53:18 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

जो वक्त आवंटन मे मूल खसरा नम्बर में भूमि आवंटन कर अलग अलग खतौनियां जारी कर दी गई थी। आवंटन के समय नक्शा में तरमीम नहीं दर्शाई गई, किन्तु मौके पर आवंटियों को अलग अलग कब्जा सुपुर्द किया गया जिसके अनुसार काबिज रहे है। तत्कालीन समय में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बिना मौके की जांच किये नक्शे में खतौनियों माफिक तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 26/11 की खतौनी 39-03 बीघा व खसरा नम्बर 28/11 में 50 बीघा दर्ज है, किन्तु मौके पर की गई तरमीम में दोनों खसरों में रकबा 8-18 बीघा कम दर्शाई गई है। जिससे मौके पर आपस में विवाद बना रहता है। राजस्व विधि की स्पष्ट मंशा है कि जमाबंदी, खतौनी नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं उसके तरमीम का रकबा समान होना चाहिये जबकि वर्तमान प्रकरण से संबंधित खसरान की स्थिति बिल्कुल भिन्न है।प्रार्थीगण के दोनों खसरों की तरमीम में दर्ज खतौनी के अनुसार कम दर्शाई गई है। वर्तमान में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण योजना डी आई एल आर एम पी के तहत हल्का पटवारी व ाू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मूल खसरे का सत्यापन किया गया तो उकत गलत तरमीम की जानकारी हुई जिस पर श्रीमान तहसीलदार, द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136, भू-राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू-अभिलेख नियम 1970 के तहत पेश किया गया जिसे इस आधार पर खारिज किया गया कि खतौनी व लट्ठा ट्रेस में रकबे की भिन्नता होने पर प्रभावित खातेदार प्रार्थनापत्र सक्षम न्यालय में पेश किया जावे। प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 26/11, व 28/11 की खतौनी में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम न होने से घोर अन्याय हो रहा है। पूर्व में वक्त तरमीम प्रार्थीगण को सुना नहीं गया था तथा बिना सुने गलत तरमीम की गई थी जिससें प्राकृतिक न्याय के सिदान्तों की अवेहलना हुई। मौके पर कब्जे की जांच की जाकर प्रार्थीगण के खसरान की खतौनी में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित है। विकल्प में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण 2 ता 10 के बीच में सरकारी सड़क आ जाने से बढे रकबे को प्रार्थीगण के खाते में इन्द्राज किया जावे।

अन्त में निवेदन किया गया कि मौजा मंडावास के मूल खसरा संख्या 11 रकबा में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 26/11, 28/11 व विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 27/11, 39/11, 40/11, 42/11, 43/11 मौके पर कब्जे व रेकर्ड की जांच करवाकर खतौनी व नक्शें में तरमीम समान रकबें के अनुसार दर्ज कर शुद्विकरण करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। जिसे तामील की तारीफ में आते है, ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, तहसीलदार पचपदरा के द्वारा पत्रांक 1064 दिनांक 12.04.2021 के द्वारा मौके पर माकिक कब्जे एव [illegible] सार प्रार्थना-पत्र के तथ्य सही पाये गये एवं तरमीम दुरुस्ती करने हेतु निवे[illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 18:53:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के वकील एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया। [illegible] ने बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मौजा मंडावास के खसरा नम्बर 26/11 की खतौनी 39-03 बीघा व खसरा नम्बर 28/11 में 50 बीघा दर्ज है, किन्तु मौके पर की गई तरमीम में दोनों खसरों में रकबा 8-18 बीघा कम दर्शाई गई है। जिससे मौके पर आपस में विवाद बना रहता है। राजस्व विधि की स्पष्ट मंशा है कि जमाबंदी, खतौनी नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं उसके तरमीम का रकबा समान होना चाहिये जबकि वर्तमान

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रकरण से संबंधित खसरान की स्थिति बिल्कुल भिन्न है।प्रार्थीगण के दोनों खसरों की तरमीम में दर्ज खतौनी के अनुसार कम दर्शाई गई है।

तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार माफिक मौके की जांच के अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि की जमाबंदी मौजा मंडावास के खसरा नम्बर 26/11 की खतोनी 39–03 बीघा व खसरा नम्बर 28/11 में 50 बीघा दर्ज है, किन्तु मौके पर की गई तरमीम में दोनों खसरों में रकबा 8–18 बीघा कम दर्शाई गई है। जिससे मौके पर आपस में विवाद बना रहता है। राजस्व विधि की स्पष्ट मंशा है कि जमाबंदी, खतौनी नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं उसके तरमीम का रकबा समान होना चाहिये जबकि वर्तमान प्रकरण से संबंधित खसरान की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। प्रार्थीगण की इस्तदुआ के अनुसार तरमीम दुरुस्ती किया जाना न्याय संगत है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर मौजा मंडावास के खसरा नम्बर 26/11 की खतोनी 39–03 बीघा व खसरा नम्बर 28/11 में 50 बीघा की तरमीम बट्टा नम्बर के अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रस्तावित नक्शे में एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकर्ड में बाद जांच दर्ज करने के तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरुस्ती की जावे। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित नक्शा एवं मौका रिपोर्ट इस निर्णय के अभिन्न अंग होगा। इस निर्णय से यदि किसी पक्षकार का हित प्रभावित होगा तो वह सक्षम न्यायालय में वाद/ आवेदन प्रस्तुत करके चाराजोही कर सकता है।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
भू अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 18.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 18:53:18 IST
Reason: SelfAttested